



Neutral Citation No. - 2026:AHC:65126-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 7295 वर्ष 2026

राष्ट्र प्रकाश धनगर

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आनंद कुमार राय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 40

माननीय न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद कुमार राय द्वारा प्रस्तुत पूरक हलफनामा रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अनुरोध किया है और उन्हें अनुमति दी गई है कि वे आज की कार्यवाही के दौरान अतिरिक्त आयुक्त, आगरा मंडल, आगरा को प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में शामिल करें।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी गई।

4. याचिकाकर्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण प्रभाग, फिरोजाबाद के सिविल इंजीनियर द्वारा दिनांक 10.02.2026 और 26.12.2025 को जारी नोटिसों से व्यथित होकर, जिसमें याचिकाकर्ता को कथित अतिक्रमित भूमि पर निर्मित निर्माण को पंद्रह दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा विध्वंस की कार्यवाही शुरू की जाएगी, इस रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय में पहुंचा है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इससे पहले याचिकाकर्ता ने रिट-सी संख्या 34488/2025 (राष्ट्र प्रकाश धनगर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य) दायर करके इस न्यायालय से संपर्क किया था, जिसमें इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया था, और ऐसा आवेदन दाखिल किए जाने की स्थिति में, विध्वंस कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।

6. यह निवेदन किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त रिट याचिका में दिनांक 10.10.2025 को पारित निर्णय एवं आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया, जिसे उप-मंडल मजिस्ट्रेट, सदर, फिरोजाबाद के समक्ष वाद संख्या टी20200/260100005/2026 के रूप में पंजीकृत किया गया। उक्त आवेदन को उप-मंडल मजिस्ट्रेट, सदर, फिरोजाबाद ने दिनांक 30.01.2026 के आदेश द्वारा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अस्वीकृत कर दिया। यह भी निवेदन किया जाता है कि इसके बाद याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24(4) के अंतर्गत अतिरिक्त आयुक्त, आगरा मंडल, आगरा के समक्ष दिनांक 18.02.2026 को एक वैधानिक अपील दायर की, जो पूरक हलफनामे के अनुलग्नक एस.ए.-3 के रूप में संलग्न है। यह तर्क दिया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने उपमंडल मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध वैधानिक उपाय का पहले ही लाभ उठा लिया है, इसलिए अपील पर निर्णय होने तक प्रतिवादियों को निर्माण को ध्वस्त करने से रोका जाए।

7. आगे यह तर्क दिया गया है कि विवादित आदेश याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना जारी किए गए हैं और यदि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया गया होता, तो याचिकाकर्ता संबंधित प्राधिकारी को सूचित कर देता कि उसके आवेदन को अस्वीकार करने वाले आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत एक वैधानिक अपील पहले ही दायर की जा चुकी है। यह निवेदन किया गया है कि यदि अपील लंबित रहने के दौरान विध्वंस किया जाता है, तो याचिकाकर्ता की अपील निष्फल हो जाती है।

8. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित आदेश से यह स्पष्ट होता है कि प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता का उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता हितधारक व्यक्ति नहीं है, इसलिए विवादित आदेश सही ढंग से पारित किया गया था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. चाहे जो भी हो, यह निर्विवाद है कि इस न्यायालय द्वारा रिट-सी संख्या 34488/2025 में दी गई स्वतंत्रता के अनुसार, याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसे उप-मंडल मजिस्ट्रेट ने दिनांक 30.01.2026 के आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24(4) के तहत एक वैधानिक अपील पहले ही दायर कर दी है, जो अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। चूंकि याचिकाकर्ता ने वैधानिक उपाय का लाभ उठाया है और उप-मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की वैधता पर अभी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना बाकी है, इसलिए अपील के लंबित रहने के दौरान किसी भी प्रकार का विध्वंस अपील को निष्फल कर देगा।

10. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 5- अतिरिक्त आयुक्त, आगरा मंडल, आगरा, याचिकाकर्ता की अपील, जो पूरक हलफनामे के साथ संलग्न है (अनुलग्नक संख्या एस.ए.3), का शीघ्रता से, अधिमानतः आज से दो महीने की अवधि के भीतर निर्णय लें।

11. आज से दो महीने की अवधि के लिए या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील के निस्तारण तक, जो भी पहले हो, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के निर्माण को ध्वस्त करने से रोका जाता है।

(न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद) (न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव)

23 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सचिन मिश्रा

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।